भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 436

उत्तर देने की तारीखः 22.07.2025

अनुसूचित जाति समुदायों से संबंधित उद्यमियों के लिए सहायता

436. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में अनुसूचित जाति समुदायों में संबंधित युवा उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के अंतर्गत शुरू की गई, प्रभावी और वर्तमान में चल रही योजनाओं का ब्यौरा और उनकी सूची क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान ऐसी योजनाओं के लिए योजना-वार, राज्य-वार, जिला-वार और आबंटित व उपयोग की गई कुल धनराशि का बापतला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित आंध्र प्रदेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति समुदायों में संबंधित युवा उद्यमियों के लिए सरकार द्वारा राज्यवार और जिला-वार तथा विशेष रूप से बापतला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में चलाए गए विभिन्न प्रशिक्षण पहलों और मार्गदर्शन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति समुदायों से संबंधित युवा उद्यमियों के लाभ के लिए शुरू की गई ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए कोई गतिविधियाँ/अभियान चलाए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, देश भर में अनुसूचित जाति उद्यमियों को समर्थन देने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए लक्षित पहलें शुरू की हैं।

1. अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-एससी): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड के माध्यम से कार्यान्वित यह योजना 4% की रियायती ब्याज दर पर 10 लाख रुपए से 15 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के स्वामित्व वाले व्यवसायों की स्थापना, विस्तार और विविधीकरण को सुगम बनाना है।

2. अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन (एएसआईआईएम): सितंबर 2020 में शुरू किया गया एएसआईआईएम, नवाचार और उद्यमिता में लगे अनुसूचित जाति के छात्रों और युवाओं को सहायता पहुंचाता है। इस योजना में मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटरों के साथ काम करने वाले व्यक्तियों को 30 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता की पेशकश की जाती है, जिससे वे नवोन्मेषी विचारों को वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम स्टार्ट-अप में बदल सकते हैं।

3. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी): एनएसएफडीसी 3.00 लाख रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आय-सृजन गतिविधियों के लिए रियायती ऋण प्रदान करता है। इसका उद्देश्य स्वरोज़गार को बढ़ावा देना और युवा अनुसूचित जाति उद्यमियों को लघु व्यवसायों को स्थायी और लाभदायक उद्यमों में बदलने में सक्षम बनाना है। ये योजनाएं राज्य चैनलाइज़िंग एजेंसियों (एससीए), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और एनबीएफसी-एमएफआई के नेटवर्क के माध्यम से एनएसएफडीसी के साथ औपचारिक समझौतों के तहत देश भर में कार्यान्वित की जाती हैं।

(ख): वीसीएफ-एससी, एएसआईआईएम और एनएसएफडीसी से संबंधित विवरण क्रमशः **संलग्नक-I, संलग्नक-II** और **संलग्नक-III** में दिए गए हैं।

(ग) और (घ): अनुसूचित जाति समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड और एनएसएफडीसी अखिल भारतीय जागरूकता और आउटरीच पहलों का सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयन कर रहे हैं। अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-एससी) और अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन (एएसआईआईएम) को देश भर में कार्यान्वित किया जा रहा है। तदनुसार, इन योजनाओं के तहत प्रशिक्षण पहलें और मार्गदर्शन कार्यक्रम आंध्र प्रदेश और बापतला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित पूरे देश में आयोजित किए जाते हैं ताकि अनुसूचित जाति के उद्यमियों के बीच इन योजनाओं का प्रचार और प्रसार किया जा सके।

आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड नियमित वेबिनारों, साझेदारियों (जैसे कि स्टार्टअप तमिलनाडु), और टेक्नोलॉजी बिज़नेस इन्क्यूबेटर्स (टीबीआई) तथा सीआईआई, डीआईसीसीआई और स्टार्टअप इंडिया जैसे इंडस्ट्री निकायों के साथ सहयोग के माध्यम से इन योजनाओं को बढ़ावा देता है। वित्त वर्ष 2024-25 में, 30 से अधिक वेबिनार आयोजित

किए गए, और आउटरीच प्रयासों में सोशल मीडिया अभियान, क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञापन, स्थानीय भाषाओं में ब्रोशर और व्यापक ईमेल संचार शामिल हैं। वीसीएफ-एससी और एएसआईआईएम के तहत, आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड ने 248 मेंटरिंग सत्रों का आयोजन किया है, जिनमें से 99 पूरे हो चुके हैं।

एनएसएफडीसी अपनी चैनलाइज़िंग एजेंसियों के माध्यम से दूरदराज के इलाकों सहित विभिन्न राज्यों में जागरूकता शिविर आयोजित करके अनुसूचित जाति के उद्यमियों की सहायता करता है। यह आईआईटीएफ, सूरजकुंड मेला और शिल्प समागम जैसी प्रमुख प्रदर्शनियों और मेलों में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को मुफ्त स्टॉल प्रदान करता है और जागरूकता बढ़ाने के लिए आईईसी गतिविधियां भी चलाता है।

[लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 436 के भाग (ख) का उत्तर]

अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड- संस्वीकृति विवरण

	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
	कंपनियों की सं.	संस्वीकृत राशि	कंपनियों की सं.	संस्वीकृत राशि	कंपनियों की सं.	संस्वीकृत राशि	कंपनियों की सं.	संस्वीकृत राशि	कंपनियों की सं.	संस्वीकृत राशि
आंध्र प्रदेश	**1**	**1.92**	-	-	**2**	**11.16**	-	-	-	-
असम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बिहार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छतीसगढ़	-	-	-	-	-	-	1	2.80	-	-
दिल्ली एनसीआर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गुजरात	-	-	-	-	-	-	1	5.00	-	-
हरियाणा	-	-	-	-	1	0.77	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश	1	3.54	-	-	1	4.85	2	9.43	-	-
कर्नाटक	1	1.44	1	4.47	1	2.06	1	10.19	2	15.19
मध्य प्रदेश	-	-	1	1.26	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र	2	7.23	3	5.79	5	20.84	7	42.09	8	40.38
पांडिचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पंजाब	-	-	-	-	1	2.27	1	4.66	-	-
राजस्थान	1	4.87	-	-	-	-	-	-	-	-
तमिलनाडु	5	19.96	-	-	1	4.92	-	-	1	4.98
तेलंगाना	-	-	-	-	1	15.00	-	-	1	15.00
उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	-	-	1	2.11	-	-
उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल	-	-	1	4.00	-	-	-	-	-	-
झारखंड	-	-	-	-	1	4.92	-	-	-	-
ओडिशा	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.63
कुल योग	**11**	**38.95**	**6**	**15.52**	**14**	**66.79**	**14**	**76.29**	**13**	**79.18**

अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड- संवितरण विवरण

	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
	कंपनियों की सं.	संवितरण राशि	कंपनियों की सं.	संवितरण राशि	कंपनियों की सं.	संवितरण राशि	कंपनियों की सं.	संवितरण राशि	कंपनियों की सं.	संवितरण राशि
आंध्र प्रदेश	**1**	**0.40**	**2**	**1.10**	**1**	**2.51**	**4**	**9.56**	**3**	**2.19**
असम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बिहार	2	3.24	1	0.39	-	-	-	-	-	-
छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.50
दिल्ली एनसीआर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गुजरात	4	3.43	-	-	-	-	-	-	-	-
हरियाणा	-	-	1	0.35			1	0.38	2	0.39
हिमाचल प्रदेश	-	-	2	2.52	2	0.92	1	0.10	3	5.82
कर्नाटक	-	-	1	0.42	3	3.27	1	1.96	-	-
मध्य प्रदेश	-	-	1	0.66	1	0.40	2	0.20	-	-
महाराष्ट्र	13	9.53	6	6.42	5	6.60	11	24.61	8	11.94
पांडिचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पंजाब	1	0.07	-	-	-	-	2	1.72	3	0.55
राजस्थान	-		2	2.10	2	1.04	1	0.89	1	0.76
तमिलनाडु	3	5.91	2	2.13	4	6.93	2	1.62	1	0.23
तेलंगाना	2	0.14	1	0.13	2	12.96	-	-	1	2.04
उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उत्तराखंड	-	-	1	1.48	1	0.24	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल	3	3.01	4	4.89	1	0.80	2	3.33	1	0.88
कुल योग	**29**	**25.74**	**24**	**22.58**	**22**	**35.67**	**27**	**44.37**	**24**	**26.30**

[22.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 436 के भाग (ख) का उत्तर]

अम्बेडकर सोसल इनोवेशन एंड इंन्क्यूवेशन मिशन (एएसआईआईएम) योजना का विवरण

वर्ष	20-21			21-22			22-23			23-24			24-25			25-26			कुल योग		
राज्य	संस्वीकृत राशि	लाभार्थियों की सं.	संवितरित राशि	स्वीकृत राशि	लाभार्थियों की सं.	संवितरित राशि	संस्वीकृत राशि	लाभार्थियों की सं.	संवितरित राशि	संस्वीकृत राशि	लाभार्थियों की सं.	संवितरित राशि	संस्वीकृत राशि	लाभार्थियों की सं.	संवितरित राशि	संस्वीकृत राशि	लाभार्थियों की सं.	संवितरित राशि	कुल संस्वीकृत	कुल लाभार्थी	कुल संवितरण
असम	-	-	-	-	-	-	0.60	2	0.11	0.30	1	0.04	0.60	2	0.31	-	-	-	1.50	5	0.46
छतीसगढ़	-	-	-	0.30	1	0.07	0.30	1	0.13	-	-	0.20	-	-	0.05	-	-	0.05	0.60	2	0.50
दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	1	-	0.30	1	0.08	-	-	-	0.60	2	0.08
गुजरात	0.30	1	0.01	0.90	3	0.14	-	-	0.15	0.30	1	0.25	0.90	3	0.20	-	-	0.10	2.40	8	0.85
हरियाणा	-	-	-	-	-	-	0.30	1	0.05	-	-	0.05	-	-	0.19	-	-	-	0.30	1	0.29
हिमाचल प्रदेश	-	-	-	0.30	1	0.05	-	-	0.05	-	-	0.05	-	-	0.05	-	-	-	0.30	1	0.20
कर्नाटक	0.30	1		0.30	1	0.07	0.60	2	0.36	0.57	2	0.28	-	-	0.43	-	-	0.02	1.77	6	1.16
केरल	0.30	1	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-	0.06	-	-		-	-	-	0.30	1	0.16
महाराष्ट्र	0.60	2	0.01	1.50	5	0.33	5.44	19	1.15	2.40	8	1.46	1.80	6	0.94	1.20	4	0.26	12.94	44	4.15
ओडिशा	0.90	3	0.02	0.90	3	0.38	0.60	2	0.06	-	-	0.51	0.30	1	0.19	-	-	0.04	2.70	9	1.20
राजस्थान	0.30	1	-	-	-	-	0.90	3	0.11	-	-	0.10	-	-	0.10	-	-	-	1.20	4	0.31
तमिलनाडु	0.30	1		0.60	2	0.20	0.60	2	0.26	-	-	0.13	0.60	2	0.07	0.30	1	-	2.40	8	0.66
उत्तर प्रदेश	-	-	-	0.30	1		1.80	6	0.32	-	-	0.32	0.60	2	0.33			0.12	2.70	9	1.08
पश्चिम बंगाल	-	-	-	0.30	1	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0.30	1	0.00
तेलंगाना	-	-	-	-	-	-	0.60	2	0.06	0.30	1	0.13	-	-	-	-	-	-	0.90	3	0.19
नई दिल्ली	-	-	-	0.30	1	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	0.30	1	0.06
उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-	0.30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	1	0.00
मणिपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.60	2	0.13	0.30	1	0.08	-	-	0.09	0.90	3	0.30
पंजाब	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	1	-	-	-	-	0.30	1	0.00
कुल योग	**3.00**	**10**	**0.04**	**5.70**	**19**	**1.34**	**12.04**	**41**	**2.81**	**4.77**	**16**	**3.77**	**5.70**	**19**	**3.03**	**1.50**	**5**	**0.68**	**32.71**	**110**	**11.66**

[22.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 436 के भाग (ख) का उत्तर]

आंध्र प्रदेश सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान क्रियान्वित एनएसएफडीसी योजनाओं का राज्यवार विवरण (रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2020-2021			2021-2022			2022-2023			2023-2024			2024-2025		
		आवंटन	वास्तविक संवितरण	लाभार्थी	आवंटन	वास्तविक संवितरण	लाभार्थी	आवंटन	वास्तविक संवितरण	लाभार्थी	आवंटन	वास्तविक संवितरण	लाभार्थी	आवंटन	वास्तविक संवितरण	लाभार्थी
1	अंडमान एवं निकोबार	0.00	0.00	0	0.00	0.82	1	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	12.40	2
2	आंध्र प्रदेश	8472.00	137.56	102	3547.00	2278.59	4007	3755.44	1518.50	2997	3129.54	7301.04	11571	4172.71	7372.37	8229
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0	0.00	1.84	2	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	8.29	3
4	असम	354.00	23.79	28	1252.00	4.00	4	1325.48	16.79	20	1104.57	363.51	952	1472.76	848.12	164
5	बिहार	708.00	57.72	96	6958.00	44.77	44	7367.04	1495.78	5018	6139.20	1111.46	2652	8185.60	1034.38	211
6	चंडीगढ़	6.00	30.23	74	84.00	2.54	4	88.54	29.25	75	73.78	19.83	11	98.36	24.33	7
7	छत्तीसगढ	1056.00	187.21	224	1375.00	186.09	196	1455.98	311.71	325	1213.32	406.87	265	1617.75	958.35	305
8	दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव	0.00	0.00	0	6.00	4.99	2	5.47	0.21	1	4.56	0.00	0	6.08	0.00	0
9	दिल्ली	234.00	180.02	49	1179.00	159.80	185	1250.56	440.60	334	1042.14	39.70	14	1389.51	211.20	77
10	गोवा	6.00	11.19	3	11.00	0.76	2	11.32	1.70	2	9.43	6.97	1	12.57	11.97	3
11	गुजरात	2358.00	1679.34	728	1711.00	235.52	202	1811.82	502.59	347	1509.83	38.43	81	2013.11	599.35	394
12	हरियाणा	1410.00	482.28	937	2148.00	1559.62	1216	2273.89	904.86	1441	1894.91	1433.49	1486	2526.54	548.94	478
13	हिमाचल प्रदेश	540.00	426.75	282	726.00	29.38	15	768.95	373.11	726	640.80	596.78	453	854.39	2404.08	1136
14	जम्मू एवं कश्मीर	564.00	270.00	100	388.00	1712.06	794	411.32	15.51	11	342.76	1026.41	321	457.02	223.35	42
15	झारखंड	354.00	33.53	45	1674.00	0.37	1	1772.32	679.65	1945	1476.92	90.88	111	1969.23	320.08	88
16	कर्नाटक	3588.00	6807.52	5540	4399.00	6573.45	4353	4657.95	7346.54	2932	3881.62	2785.90	2280	5175.50	3626.36	2828
17	केरल	2076.00	4266.01	3166	1277.02	4395.66	3079	1351.63	5711.49	6119	1126.34	6525.82	5486	1501.80	7654.95	7632
18	लद्दाख	0.00	0.00	0	1.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0	0.00	0.46	1	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
20	मध्य प्रदेश	2826.00	1507.01	1661	4763.00	2126.34	1883	5043.62	56.53	61	4203.02	598.62	838	5604.03	1508.10	374
21	महाराष्ट्र	5004.00	1185.61	1428	5575.02	7152.10	3277	5903.44	7499.35	6215	4919.53	1698.39	752	6559.37	3095.91	1123
22	मणिपुर	24.00	12.08	9	53.98	1.05	1	57.62	51.59	42	48.03	2.03	2	64.06	211.43	37
23	मेघालय	0.00	0.00	0	10.00	0.00	0	10.25	1.82	1	8.58	1.01	1	11.46	15.17	3
24	मिजोरम	0.00	0.31	1	0.98	0.00	0	0.71	0.00	0	0.60	0.00	0	0.80	90.22	55
25	नागालैंड	0.00	5.42	2	0.00	1.28	1	0.00	7.40	4	0.00	0.00	0	0.00	243.71	69
26	ओडिशा	228.00	260.48	279	3019.00	391.29	384	3196.52	404.47	1209	2663.76	389.78	654	3551.68	1084.37	245
27	पुदुचेरी	60.00	228.18	434	82.00	77.42	80	87.31	2052.78	2397	72.75	2670.45	2993	97.00	1936.77	1877
28	पंजाब	2094.00	1640.38	1488	3721.00	3783.71	2907	3939.88	4637.63	3972	3283.24	10711.77	5741	4377.65	10014.76	6095
29	राजस्थान	4236.00	5283.10	7931	5133.00	68.30	84	5434.61	5690.82	4494	4528.85	2586.10	1905	6038.46	1402.16	785
30	सिक्किम	60.00	99.00	40	16.00	103.13	43	16.80	6.52	5	14.00	11.52	4	18.66	186.52	24
31	तमिलनाडु	6822.00	6008.03	3595	6064.00	12929.20	13824	6420.40	7174.94	3378	5350.32	14902.90	14548	7133.76	6047.88	5588
32	तेलंगाना	2196.00	1256.07	2485	2282.00	272.65	415	2415.78	5533.41	6535	2013.14	2506.20	2606	2684.19	570.37	390
33	त्रिपुरा	1134.00	3229.34	730	367.00	2465.66	2798	389.04	1795.85	676	324.20	878.77	1578	432.27	675.70	127
34	उत्तर प्रदेश	8826.00	12343.54	8922	17368.00	4101.21	3967	18390.62	5263.28	2390	15325.52	9955.83	7700	20434.02	4497.52	2647
35	उत्तराखंड	174.00	0.34	2	795.00	171.43	111	841.55	14.91	23	701.29	329.46	246	935.06	901.61	267
36	पश्चिम बंगाल	4590.00	7171.08	53621	9014.00	6365.32	32336	9544.14	4055.08	30293	7953.45	2455.44	20120	10604.60	2837.59	445
	कुल:	**60000.00**	**54823.12**	**94002**	**85000.00**	**57200.81**	**76219**	**90000.00**	**63594.67**	**83988**	**75000.00**	**71445.36**	**85372**	**100000.00**	**61178.31**	**41750**

*****